शुद्धिपत्र

संख्या-551/2026/आई/1361182/23-1-26-23-1002(002)/84/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 1217 कार्यों के नवनिर्माण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054 में विभिन्न पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-120/2026/आई/1254367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026, दिनांक 27.02.2026 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत **विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 1217 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु कुल लागत** रू0 147632.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 6920.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2- मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या-1902/(54-सी)/स0वृ0/2025-26, दिनांक 27.05.2026 एवं पत्र संख्या-1935/(54-सी)स0वृ/2025-26, दिनांक 08.06.2026 द्वारा उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-348, 351 पर अंकित जनपद बहराइच के 01-01 कार्य हेतु मार्गों के नाम एवं क्रमांक-850 पर अंकित जनपद मीरजापुर के 01 कार्य हेतु शासनादेश में अंकित लम्बाई संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-120/2026/आई/1254367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026, दिनांक 27.02.2026 में अंकित तालिका के क्रमांक-348, 351 हेतु शासनादेश के स्तम्भ-4 में उल्लिखित मार्ग के स्थान पर निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अंकित मार्ग का नाम तथा क्रमांक-850 पर अंकित कार्य हेतु शासनादेश के स्तम्भ-5 में अंकित लम्बाई के विवरण **के स्थान** निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित लम्बाई का विवरण पढ़ा जाय।

क्र0 सं0	शासनादेश की तालिका का क्रमांक	कार्य का नाम	शासनादेश में अंकित विवरण	संशोधित विवरण
1	2	3	4	5
1	348	मंहगीपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2(200) के नवनिर्माण का कार्य।	मंहगीपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2(200) के नवनिर्माण का कार्य।	मंहगीपुरवा मार्ग के किमी0-1 एवं 2(300) के नवनिर्माण का कार्य।
2	351	दयापुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2(50) के नवनिर्माण का कार्य।	दयापुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2(50) के नवनिर्माण का कार्य।	दरियांवापुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2(050) के नवनिर्माण का कार्य
3	850	सहसपुरा का मरजा पण्डित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	3.300	1.300

3- उक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2026 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

संख्या-551/2026/आई/1361182(1)/23-1-26-23-1002(002)/84/2026-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in